कार्यालय, जिला पंचायत, औरैया।

ई–निविदा सूचना

पत्रांक 4185 / निर्माण–टेण्डर / 2026–27 दिनांक 30.4.2026

वर्ष 2026–27 में पंजीकृत समस्त जिला पंचायतों, सिंचाई विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि शासन से प्राप्त अनुदान से निर्माण कार्यों हेतु ई–निविदा आमन्त्रित की जाती है। ई–निविदा,ई–टेण्डर पोर्टल–http://etender.up.nic.in पर दिनांक 16.05.2026 को दोपहर 12:00 बजे से दिनांक 21.05.2026 को दोपहर 12:00 बजे तक डाउनलोड एवं अपलोड की जा सकती है। प्राप्त ई निविदा की तकनीकी बिड दिनांक 21.05.2026 को अपराह्न 03:00 बजे से खोली जाएगी।

प्रत्येक निविदादाता/ठेकेदार को क्रमश 1–निविदा शुल्क की पावती रसीद, 2–जमानत/धरोहर धनराशि की पावती रसीद, 3–वैध हैसियत प्रमाण पत्र, 4–वैध चरित्र प्रमाण पत्र, 5–वर्ष 2026–27 का विभागीय ठेकेदारी पंजीकरण का प्रमाण पत्र, 6– एण्टी भू–माफिया सम्बन्धी शपथ–पत्र /स्वघोषणा पत्र स्कैन करते हुए निविदा सबमिट करते समय अपलोड करना अनिवार्य होगा। उक्त शपथ पत्र अंकन रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर मय फोटो ग्राफ नोटरी से प्रमाणित तथा फर्म के नाम एवं प्रोपराइटर/पार्टनर का नाम व कार्य का नाम सहित अपलोड करना अनिवार्य होगा। स्वघोषणा/शपथ पत्र का प्रारूप ई–टेण्डर पोर्टल http://etender.up.nic.in पर विस्तृत कार्य विवरण व शर्तों के साथ उपलब्ध कराया जाएगा।

30/04/2026

(राकेश कुमार सिंह)
अभियन्ता,
जिला पंचायत, औरैया।

(सुभाष चन्द्र भारतीय)
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, औरैया।

पत्रांक व दिनांक–उपरोक्त।

प्रतिलिपि:–

1. माननीय अध्यक्ष, जिला पंचायत, औरैया को उनके निर्देश के क्रम में अवलोकनार्थ।
2. जिलाधिकारी, औरैया को सूचनार्थ।
3. अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (प्रान्तीय/निर्माण खण्ड), सिंचाई विभाग, एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग औरैया को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त ई–टेण्डर पोर्टल पर प्रकाशित कार्य अपनी कार्य योजना में न शामिल करें।
4. टेण्डर समिति, जिला पंचायत, औरैया।
5. सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं दैनिक हिन्दुस्तान को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त विज्ञापन अपने दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम साइज के शब्दों में एक दिवस में प्रकाशित करते हुए समाचार पत्र की तीन प्रतियों के साथ विज्ञापन का बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, औरैया।

कार्यालय जिला पंचायत, औरैया

पत्रांक 6185/जि.पं.औ./नि.अनु./पं.रा.वि./2026–27 दि0 3/04/2026 2026 द्वारा जारी विज्ञप्ति की समस्त शर्तें/कार्यों का सम्पूर्ण विवरण

क0 सं0	शर्तें
1	निविदाओं में कोई भी सेवानिवृत्त/सेवारत राजपत्रित अधिकारी, बार काउन्सिल में कोई भी पंजीकृत व्यक्ति, जिला पंचायत, औरैया में कार्यरत कोई भी कर्मचारी एवं जिला पंचायत, औरैया के मा0 सदस्यों का निकट सम्बन्धी भाग नहीं ले सकेगा।
2	ठेकेदार निविदा सबमिट करने से पूर्व सम्बन्धित कार्य का निरीक्षण कर लें।
3	यदि निविदा के सम्बन्ध में शुद्धि पत्र/परिशिष्ट जारी किया जाता है, तो वह किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नही किया जायेगा। यह सूचना पोर्टल **https://etender.up.nic.in** पर प्रदर्शित होगी।
4	जिला पंचायत, औरैया में रजिस्ट्रीकृत ठेकेदारों के अतिरिक्त अन्य जिला पंचायतों, राज्य सरकार के सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग में रजिस्ट्रीकृत ठेकेदारों की किसी विशिष्ट कार्य के लिए टेण्डर के न्यूनतम होने की दशा में ठेकेदार से जिला पंचायत में रजिस्ट्रीकरण शुल्क के रूप में अंकन रू0 15,000/– की धनराशि जमा करने के साथ ही अंकन रू0 50,000/– की जमानत धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा। तद्उपरान्त अनुबन्ध गठित किये जाने की कार्यवाही अमल में लायी जा सकेगी।
5	प्रत्येक निविदादाता/ठेकेदार प्रत्येक निविदाओं के साथ पृथक–पृथक 02 प्रतिशत धरोहर की धनराशि इन्टरनेट बैकिंग/एन.ई.एफ.टी./ आर.टी.जी.एस. राष्ट्रीकृत बैंक का एफ.डी.आर. के द्वारा स्वीकार की जायेगी, जिसका ट्रांसेक्शन नम्बर निविदा सबमिट करते समय अपलोड किया जायेगा। निविदा मूल्य (मय जी.एस.टी.) की धनराशि एन. ई.एफ.टी./ आर.टी.जी.एस. या ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जा सकेगा। निविदा शुल्क जमा करने हेतु खाता (District Auraiya Panchayat, Auraiya A/C 3125497215, आई0एफ0सी0–कोडः CBIN0282346 Central Bank Of India Branch Auraiya) में जमा किया जायेगा। यदि कोई निविदादाता धरोहर धनराशि जमा करना चाहे तो वह उपरोक्त खाते में उपरोक्त माध्यम से जमा कर सकता है।
6	प्रत्येक निविदादाता/ठेकेदार को क्रमशः 1. निविदा शुल्क की पावती रसीद 2. जमानत/धरोहर राशि की पावती/ एफ.डी.आर. की स्कैन कॉपी 3. हैसियत प्रमाण पत्र 4. चरित्र प्रमाण पत्र 5. वर्ष 2025–26 का विभागीय ठेकेदारी पंजीकरण प्रमाण पत्र 6. भू– माफिया सम्बन्धी शपथ पत्र की स्वप्रमाणित प्रति स्केन करते हुए निविदा सबमिट करते समय अपलोड करना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र अंकन रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर मय फोटो नोटरी से प्रमाणित तथा फर्म के नाम एवं प्रोपराईटर/ पार्टनर का नाम व कार्य का नाम सहित अपलोड करना होगा, जिसका प्रारूप शर्तों के साथ संलग्न है।
7	निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरान्त अनुबन्ध के समय शेष 08 प्रतिशत धरोहर की धनराशि प्रपत्र संख्या–05/एफ. डी.आर./ इन्टनेट, बैकिंग/एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के माध्यम से स्वीकार की जायेगी एवं शासनादेश सं0 622/33–12–2012–2 आडिट/08 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार प्राक्कलन दर से 10 प्रतिशत की दर तक 0.50 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलों पर 01 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर सिक्योरिटी/ परफारमेंन्स गारण्टी ली जायेगी, जो कि 10 प्रतिशत जमानत से अतिरिक्त होगी।
8	कार्य आदेश प्राप्त होने के उपरान्त प्रत्येक कार्य पर लगाये गये श्रमिकों का पंजीकरण तत्काल श्रम विभाग से कराना होगा। बिना पंजीकरण कराये कार्य प्रारम्भ कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म की होगी।
9	शासनादेश सं0 305/33–सेल/2019 दिनांक 26.02.2019 के अनुसार ठेकेदार/फर्म पर कार्य की डिफेक्ट लायबिल्टी अन्तिम भुगतान की तिथि से 02 वर्ष बाद तक रहेगी।
10	निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न करने की दशा में विलम्ब शुल्क की कटौती की जाएगी।
11	निविदा मूल्य किसी भी अपिहार्य/ निविदा निरस्त की स्थिति में वापिस नहीं किया जायेगा।
12	शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशो/ निर्देशों/मा0 न्यायालयों के आदेशों का अनुपालन हेतु फर्म /ठेकेदार अनिवार्य रूप से जिम्मेदार होगें।
13	कार्यों में यदि किसी निविदा पर समान दर प्राप्त होती है तो उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण नियमावली–1984 के अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
14	आनलाइन निविदा स्वीकृत होने पर पोर्टल द्वारा निविदा स्वीकृति सम्बन्धी सूचना ई–टेण्डर पोर्टल पर ठेकेदार के पंजीकृत मोबाइल नंम्बर एवं ई–मेल पर स्वतः प्रेषित हो जाने के उपरान्त ठेकेदार को यथाशीघ्र 07 दिवस के अन्दर कार्यालय में सम्पर्क

Z.P-AC

	कर मूल अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ई–टेण्डर पोर्टल पर एफ.डी.आर. व अन्य अभिलेखों की जॉच सम्बन्धित बैंक/संस्था से करायी जायेगी, जिसके अवैध पाये जाने पर ठेकेदार /फर्म के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी तथा उसका पंजीकरण निरस्त करने व काली सूची में भी डालने की कार्यवाही की जायेगी।
15	सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी तथा समस्त निविदाओं को स्वीकृत/अस्वीकृत एवं बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी में निहित होगा।
16	ठेकेदार/फर्म को सम्बन्धित कार्य के लिए प्रयुक्त खनिज की रॉयल्टी प्रपत्र फर्म के नाम एवं विभाग के नाम से देना अनिवार्य होगा।

कार्यो का विवरण

क0 सं0	वि0ख0	कार्य का नाम	लागत जी. एस.टी रहित
1	बिधूना	वि0ख0 बिधूना के ग्राम पं0 मढोकमीत में सहार– बिधूना मार्ग पर बालाजी मंदिर से गॉव तक लेपन अनुरक्षण कार्य।	15.40
2	बिधूना	वि0ख0 बिधूना के ग्राम पं0 मढोकमीत में सहार– बिधूना मार्ग से बालाजी मंदिर तक लेपन अनुरक्षण कार्य।	15.45
3	बिधूना	वि0ख0 बिधूना के ग्राम पं0 मढोकमीत में बालाजी मंदिर के सामने मार्ग पर सी0सी0 कार्य।	14.16
4	बिधूना	वि0ख0 बिधूना के ग्राम पं0 मढोकमीत (जि0पं0 डामर रोड) से पुर्वा लश्करी की ओर मिट्टी खरंजा कार्य।	19.48
5	बिधूना	वि0ख0 बिधूना के ग्राम पं0 भदौरा के मजरा राठौरी के मध्य सी0सी0 एवं पुलिया निर्माण कार्य।	14.64
6	बिधूना	वि0ख0 बिधूना के ग्राम पं0 मढोकमीत में गयाप्रसाद के दरवाजे मंगूलाल के दरवाजे तक सी0सी0 कार्य।	8.48
7	औरैया	वि0ख0 औरैया में जिला पंचायत कार्यालय प्रथम तल पर अनुरक्षण कार्य।	12.00
8	औरैया	वि0ख0औरैया के ग्राम पं0 हसुलिया के मजरा प्रेमनगर में काली मंदिर से गॉव तक सी0सी0 कार्य।	13.92
9	औरैया	वि0ख0औरैया के ग्राम पं0 नरोत्तमपुर में सरदार जी के घर से वाईपास की ओर सी0सी0 कार्य।	6.94
10	सहार	वि0ख0 सहार के ग्राम पं0 नवीमोहन के मजरा सिखू में टीटू भदौरिया के घर से बम्बा तक मिट्टी खरंजा कार्य।	9.76
11	सहार	वि0ख0 सहार के ग्राम पं0 बरियारेमऊ के मजरा पुर्वा बक्सा में सम्पर्क मार्ग की ओर अवशेष खरंजा कार्य।	1.00
12	अजीतमल	वि0ख0 अजीतमल के ग्राम बझेरा में पाड़री बाबा के ब्रहमदास बाबा मंदिर तक खरंजा कार्य।	20.96
13	अजीतमल	वि0ख0 अजीतमल के ग्राम साहपुर (लालपुरी) में पीयूष दुबे की समर से भिटैया माता मंदिर तक सी0सी0 निर्माण कार्य।	21.04
14	सहार	वि0ख0 सहार के ग्राम पं0 सींगपुर्वामाना के ग्राम जडकडू में बबलूसिंह के दरवाजे से सौथरा अड्डा गोपालपुर डामर रोड तक सी0सी0 निर्माण कार्य।	18.67
15	भाग्यनगर	वि0ख0 भाग्यनगर के ग्राम पं0 पीपरपुर में रमेश चन्द्र त्रिवेदी के मकान से बम्बी बाली पुलिया तक सी0सी0 निर्माण कार्य।	17.54
16	भाग्यनगर	वि0ख0 भाग्यनगर के ग्राम पं0 लखनापुर के ग्राम गपकापुर में राजू के घर से कोमल सिंह के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य।	19.05
17	भाग्यनगर	वि0ख0 भाग्यनगर के ग्राम पं0 फंफूद–मुरादगंज मार्ग से ग्राम अधासी तक सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य।	52.47

नोटः– उक्त विज्ञप्ति की शर्तो/ कार्यों का सर्म्पूण विवरण पोर्टल https://etender.up.nic.in, https://auraiya.up.nic.in पर देखा जा सकता है।

अभियन्ता
जिला पंचायत, औरैया

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, औरैया

Signature Not Verified
Digitally signed by SUBHASH CHANDRA BHARTIYA
Date: 2026.05.10 09:12:13 IST
Location: Uttar Pradesh-UP